

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिला - जबलपुर

-:: आदेश ::-

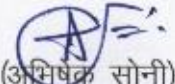
कं./ 391 /सी.जे.एम./ 2025

जबलपुर, दिनांक-09.06.2025

माह जून 2025 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री राहुल छत्री	10.06.25	10	सुश्री रीतिका विजय कुमार श्रीवास्तव	20.06.25
2	सुश्री पलक श्रीवास्तव	11.06.25	11	श्री कमलेश बरवनियों	23.06.25
3	सुश्री किरण वर्मा	12.06.25	12	श्री भरत परमार	24.06.25
4	श्री स्वास्तिक सावंत	13.06.25	13	सुश्री निर्मला पटेल	25.06.25
5	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	14.06.25	14	सुश्री निशा कुशवाहा	26.06.25
6	सुश्री मेघा पुरोहित	16.06.25	15	सुश्री अंजली राय	27.06.25
7	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	17.06.25	16	सुश्री श्रद्धा पटेल	28.06.25
8	सुश्री अभिसारिका माहुँने	18.06.25	17	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	30.06.25
9	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	19.06.25			

उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है अन्यथा उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को **सुश्री श्रद्धा पटेल** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश सुश्री श्रद्धा पटेल जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री अंजली राय** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश सुश्री अंजली राय जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री निशा कुशवाहा** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी।


(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

// 2 //

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, (प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।
- 3- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 4- जूनियर सिस्टम ऍनालिस कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की पालनार्थ प्रेषित।

Sd/-

(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर